International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 04, October - December, 2020, pp.261-264

गैर सरकारी संगठनों का मानवाधिकारों के सन्दर्भ में एक अध्ययन

प्रकाश चन्द्र बैरवा*

सार

गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी संगठन होते है जो मानवीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक नीति, सामाजिक मानवाधिकार, पर्यावरण एवं अन्य क्षेत्रों में उनके उद्देश्यों के अनुसार कार्य करते है तथा सरकारों को नागरिकों की चिन्ताओं से अवगत करवाते है व सरकारी नियमों, कानूनों व नीतियों की निगरानी करते है और सूचना के अधिकार के प्रावधान के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते है ये संगठन गैर लाभकारी होते है तथा इनमें अक्सर सरकारों द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। भूमण्डलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की पद्धतियों के परिपेक्ष में गैर सरकारी संगठन नागरिक समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं से जुडे समुह, ट्रेड यूनियन, सहकारी संस्थान, सेवा कर्मी संगठन, सामुदायिक समुह, युवा संगठन अकादमिक एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों में अपना योगदान देकर मानवाधिकारों के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है।

मुख्य शब्दः *भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ट्रेड यूनियन, अकादमिक, उत्तरदायित्व आदि।*

———————————

प्रस्तावना

गैर सरकारी संगठनों से आशय

गैर सरकारी संगठन एक गैर लाभकारी संगठन होता है जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है जिसमें विधवा महिलाओं के लिये आवास, गरीब व अनाथ बच्चों के लिये शिक्षा, समाज के कमजोर व गरीब परिवारों के लिये भोजन व स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल, महिलाओं की सुरक्षा, सरकारी नीतियों व नियमों, कानूनों की निगरानी करना तथा नागरिको की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का कार्य करते है।

गैर सरकारी संगठन स्थानीय, राज्य या संघीय सरकार का हिस्सा नही होते है बल्कि स्वयं सेवी संस्थायें होती है जिनमें मुख्य रूप से ट्रस्ट, सोसाइटी व गैर लाभकारी कम्पनीयाँ आदि होती है। फिर भी इनके वित्त की व्यवस्था मुख्यतया : सरकारों द्वारा ही अनुदानों के रूप में की जाती है। किन्तु इन पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई भी समाज सेवी व्यक्ति गैर सरकारी संगठन की स्थापना करके समाज की सेवा कर सकता है।

गैर सरकारी संगठन, नागरिकों, द्वारा स्थापित सभी संगठनों का एक उपसमुह है, जिसमें क्लब और अन्य संगठन शामिल है जो केवल सदस्यों को सेवायें, लाभ और परिसर प्रदान करते है इसलिये कभी–कभी इन्हे ''नागरिक समाज संगठन'' के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, एक गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी, स्वैच्छिक नागरिक समुह होता है जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है।

गैर सरकारी संगठन विभिन्न प्रकार की मानवीय व सामाजिक सेवा का कार्य करते है तथा सरकारों को नागरिकों की चिन्ताओं से अवगत करवाते है। सरकारी नियमों, कानूनों व नीतियों की निगरानी करते है। और सूचना के अधिकार के प्रावधान के माध्यम से नागरिकों की रानीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते है।

---

[6] सहायक आचार्य, लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, स्व.पं.न.कि.शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

गैर सरकारी संगठन व एन.जी.ओ (N.GO)

भारतीय सन्दर्भ में गैर सरकारी संगठनों को मुख्यतयाः एन.जी.आर. (N.GO) के रूप में जाना जाता है किन्तु एन.जी.ओ शब्द का हमेशा निरन्तर उपयोग नहीं किया जा सकता है। विश्व के कुछ देशों में एन.जी.ओ शब्द को एक संगठन के रूप में जाना जाता है जिसे किसी अन्य देश में एन.पी.ओ (गैर लाभकारी संगठन) कहा जाता है। तथा इसके विपरीत कुछ देशों में राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों को गैर सरकारी संगठन माना जाता है। इसलिये भारतीय परिपेक्ष में तो गैर सरकारी संगठनों को एन.जी.ओ के रूप में जाना जा सकता है किन्तु विश्व स्तर पर इसे एन.जी.ओ कहना उचित नहीं होगा।

गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख कार्य

गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन होता है जो मानवाधिकारों, श्रम अधिकारों, लैंगिक मुद्दों स्वास्थ्य की देखभाल, पर्यावरण की रक्षा, शिक्षा, कानूनी सहायता और अनुसंधान से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को सुविधायें प्रदान करते है तथा लोगों के दुख–दर्द को दूर करने का कार्य, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने का कार्य करते हुये बुनियादी व सामाजिक सेवायें प्रदान करके सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियों को आगे बढाते रहते है। गैर सरकारी संगठन जनता को शिक्षित करने, जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धि सुविधाओं के विस्तार में योगदान करने के साथ–साथ सार्वजनिक नीतियों पर दबाव बनाने का कार्य करते हुये लोकतन्त्र में महत्वपूर्ण दबाव समूहों के रूप में कार्य करते है। ये गुणवत्ता सेवाओं की मांग के लिये गरीबों को एकजुट करते हुये उन्हे संगठित करने का कार्य भी करते है। तथा भारतीय सन्दर्भ में जहां लोग आज भी अन्धविश्वास, रूढिवादिता, आस्था, विश्वास और रीति रिवाजों में फंसे हुये है वहां पर गैर सरकारी संगठन एक उत्प्रेरक का कार्य करते हुये लोगों में जागरूकता पैदा करते है तथा पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान करते है। गैर सरकारी संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 वन अधिकार अधिनियम, 2006 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में बने इन कानूनों में अपना योगदान करते हुये मानवाधिकारों के संरक्षण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख उद्देश्य

गैर सरकारी संगठन किसी मिशन के तहत कार्य करते है इनका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बढावा देना होता है। इनके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गो को उनकी आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सेवायें प्रदान की जाती है। इसके लिये ये विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, संस्कृति, मानवाधिकार, महिला समस्यायें, बाल विकास व गरीबी आदि में से किसी एक या एक से अधिक का चुनाव करके अपना कार्य करते हैं। तथा इनका प्रमुख उद्देश्य सेवा करना होता है न कि लाभ कमाना।

गैर सरकारी संगठनों की वित्त व्यवस्था

गैर सरकारी संगठनों को सामान्यतया : स्थानीय, राज्य सरकारों या केन्द्र सरकारा द्वारा वित्तिय अनुदान या दोनों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है लेकिन कुछ गैर सरकारी संगठन औपचारिक वित्त पोषण से पूरी तरह से बचते है तथा मुख्य रूप से स्वयं सेवकों द्वारा संचालित किया जाते है। गैर सरकारी संगठनों की वित्त व्यवस्था में अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क, सामान की बिक्री, सेवाये प्रदान करने का शुल्क, अन्तराष्ट्रीय संस्थानों, तथा राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय तथा स्थानीय संस्थाओं से सहायता तथा निजीदान आदि भी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही कुछ यूरोपीय देश व यूरोपीय संघ भी गैर सरकारी संगठनों को दान व वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान करते है।

गैर सरकारी संगठनों की कर्मचारी व्यवस्था

गैर सरकार संगठनों में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति स्वयं सेवक नहीं होते है इसलिये इनमें कार्य करने वाले सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से पूर्ण परोपकारी नहीं होते है, इसलिये अधिकांश कर्मचारी अपनी आजीविका के साधन के रूप में इनमें जुडते है तथा अपने द्वारा किये गये कार्यो के बदले में पारिश्रमिक या मानदेय प्राप्त करते है तथा अपनी कुशलता, अनुभव तथा अपने सम्पर्को से स्वयं के साथ–साथ जिनकी ये सेवा कर रहे है उनको यह तत्काल लाभ प्रदान कर सकते है।

धीरे–धीरे गैर–सरकारी संगठनों के प्रबन्धकों के प्रशिक्षण को अधिकारिक रूप से एक विशिष्ट कार्य माना जाने लगा है जिससे बोर्डो, सदस्यों, कार्यकर्त्ताओं और लाभार्थियों के विशिष्ट मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है तथा इस दिशा में कार्य भी किया जा रहा है तथा कुछ अन्य संगठन गैर–सरकारी संगठनों को शोध व परामर्श सेवायें भी प्रदान करते है और साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते है जिससे अब गैर सरकारी संगठनों में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी आने लगे है जो व्यवसायिक दक्षता भी रखते है तथा अपनी आजीविका के रूप में भी इन्हे देखने लगे है। किन्तु फिर भी गैर–सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकांश लोगों का मानना है कि इनमें कार्य या नौकरी की सुरक्षा आज भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारीयों को उचित वेतन के सवाल पर एक अन्य बहस भी शुरू हो गयी है जो कि गैर–सरगारी संगठन और उनके कर्मचारियों के आम तौर पर पेशेवर होने के सम्बन्ध में है इस सम्बन्ध में एक विचार यह है कि इन संगठनों के कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलना चाहिये। जबकि दूसरे विचार के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों के कर्मचारी निःस्वार्थ कम वेतन वाले समर्पित व शौकिया कार्यकत्ता होते है। न कि निपुण पेशेवर लोग जो समाज सेवा को अधिकाधिक महत्व देते है और उनसे कम वेतन पर भी काम करवाया जा सकता है। या उनकी सेवायें ली जा सकती है इन सबके बावजूद भी गैर–सरकारी संगठन क्षेत्र एक बहुत विशाल व महत्वपूर्ण नियोक्ता बनता जा रहा है जो अनेकों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण तथा नियन्त्रण

गैर सरकारी संगठन बिना किसी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा बनाये जाते हैं तथा इनकी अधिकांश वित्त सम्बन्धि सहायता सरकारों द्वारा ही की जाती है तथा ये संगठन लगातार बदलते और विकसित होते रहते है। इसलिये कुछ संगठन ऐसे भी बनाये गये है जो गैर–सरकारी संगठनों के मूल्यांकन तथा उनकी समीक्षा में भी मदद करते है। इनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर पर तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होते है। इनमें ब्रिटेन की ''चेरेटी एवेल्युएशन सर्विस'' भारत की ''दी सोसाइटी फॉर पार्टी सिपेटरी रिसर्च एन एशिया'' और जिम्बाब्वे की प्रमुख है। जिन देशों में गैर–सरकारी संगठन कार्य करते है अथवा वहां पर पंजीकृत है, वहां की सरकारों को इन गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलाप की रिर्पोटिंग अथवा उनके निरीक्षण व उनके सर्वेक्षण की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इन संगठनों को वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों को भी इनके निरीक्षण रिर्पोटिंग तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस तरह की सूचनायें सामान्यतया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी संस्थायें तथा संगठन भी होते है जो इन गैर सरकारी संगठनों पर नजर बनाये रखते है जो विशिष्ट भौतिक तथा कार्यक्रम क्षेत्रों में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों पर अनुसंधान करते रहते है और उनके क्रिया कलापों के विवरण को प्रकाशित करते रहते है। हाल के वर्षो में कई बडे निगमों ने गैर–सरकारी संगठन आन्दोलन को कार्पोरेट तरीको के विरूद्ध स्थान पर रखने के लिये अपने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विभागों में वृद्धि की है जिसका तर्क यह है कि यदि निगम और सरकारी संगठनों के साथ कार्य करेंगे तो गैर–सरकारी संगठन भी निगम के खिलाफ कार्य नहीं करेंगे।

गैर सरकारी संगठनों की मानवाधिकारों की रक्षा में भूमिका

20वी शताब्दी में विशेषकर शीतयुद्ध के बाद विश्वभर में जो प्रमूख प्रवृत्तियॉ सामने उभरी है उनमें महत्वपूर्ण है। बाजार, गैर–सरकारी संगठन और मानवाधिकार पूरी दुनियां में विशेष रूप से 1990 के दशक में प्रमुख प्रवृतियां उभरी है ये है – भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के कारण राज्य की प्रभुसत्ता का ह्रास एवं गैर–सरकारी संगठनों का उदय नागरिक समाज का राज्य को प्रदत्त एक संगठित प्रत्युत्तर है। 21वीं सदी को लोकतन्त्र मानवाधिकार और बाजार की सदी के रूप में भी पहचान मिली है। एक तरफ जहां भूमण्डलीकरण तथा निजीकरण एवं दूसरी और विकेन्द्रीकरण इसकी विशेषता है। निजीकरण एवं सरकारी कार्यो का गैर सरकारी ईकाइयों के हस्तान्तरण एवं विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सरकारी संगठन बडे पैमाने पर अस्तित्व में आये है साहचर्य तथा जीवन की दशाओं की समानता एवं ''जन भागीदारी'' जैसे विचारों का प्रादुर्भाव

धन देने वाले संगठनों के स्वैच्छिक योगदान और गैर सरकारी संगठनों के उदय की वजह से सहज और सरल हो सका है। गैर सरकारी संगठनों का उदय राज्य और बाजार के सम्बन्ध तथा नागरिक समान ऐसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो लोकतान्त्रिक समाज के निर्माण में सहायक रहे है। नागरिक समाज मूल रूप से सामाजिक चेतना एवं उससे जुडे आन्दोलनों का परिणाम है। नागरिक समाज के विविध संगठनों में प्रमुख है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुडे समुह, ट्रेड यूनियन, सहकारी संस्थान, सेवाकर्मी संगठन, सामुदायिक समुह, युवा संगठन, अकादमिक एवं अन्य संस्थायें और गैर सरकारी संगठन।

राजनैतिक सुधारों में गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों ने अच्छा योगदान दिया है। अपातकाल के खिलाफ भी गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शित विरोध के कारण ही भारत में यह बात अब सोची भी नहीं जा सकती है कि राजनीतिक शासकों का कोई समुह फिर से अपात स्थिति को लागू करेगा। गैर–सरकारी संगठनों की उपस्थिति मात्र ही नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतन्त्र को सक्षम बनाती हैं। गैर–सरकारी संगठन निम्नलिखित माध्यमों से जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर राजनीतिक कडी के रूप में कार्य करते है। जिनमें प्रमुख इस प्रकार हो सकते है :–

- परामर्श और रणनीतिक सहयोग, जहां सरकार द्वारा गठित कमेटियों, टास्क फोर्स और सलाहकार पैनल में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल कर उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है।
- जागरूकता फेलाने, सामाजिक एक जुटता,सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग करते है तथा साथ ही साथ सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा राजनीतिक जवाबदेही सुनश्चित करवाते है।
- भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और इन सब से महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुये है

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में गैर–सरकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धो का संरक्षण, शिशु कल्याण, महिलाओं का विकास, सांस्कृतिक और धरोहर, जनजातिय विकास, विकलांगता पर्यावरण, कृषि, पशुकल्याण, कला व दस्तकारी विकास, शहरों व नगरों का विकास, मानव संसाधन, ग्रामीण विकास का कार्य करते हुये मानवीय व सामाजिक सेवा का कार्य करते है और सरकारों को नागरिकों की चिन्ताओं से अवगत करवाते है तथा सरकारी नियमों, कानूनों व नीतियों की निगरानी भी करते है और सूचना के अधिकार के प्रावधान के माध्यम से नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुये मानवाधिकारों की रक्षा में अपना अतिमहत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- थॉमस वार्ड, सम्पादक विकास, सामाजिक न्याय और सिविल सोयायटी, NGOS की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक समावेशन, परागोंन हाउस, 2005
- एच तीगेन 2003 विश्वीय संस्थाओं के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय NGOS बहुराष्ट्रीय उद्यम और सरकारों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक पूंजी का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धन का जर्नल
- संगीता कामत, डेवलपमेंट हेजेमनी NGOS एण्ड द स्टेट इन इण्डिया, दिल्ली
- लयल एस संगम '' अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी, अर्न्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून और गैर सरकारी संगठनों में NGOS का हस्तक्षेप (2005)
- डॉ. अग्रवाल, एच.ओ – अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2010
- डॉ. त्रिपाठी, टी.पी मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 2004
- शर्मा, सुभाष : भारत में मानवाधिकार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली 2014.

❖◆❖